न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

1. प्रकरण संख्या 161/2024 (GCMS: 2024/236)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं. 4, अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94139–51054

2. प्रकरण संख्या 162/2024 (GCMS: 2024/237)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं. 4, अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94139–51054

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. प्रकरण संख्या 163/2024 (GCMS: 2024/238)

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं. 4, अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94139–51054

4. प्रकरण संख्या 165/2024 (GCMS: 2024/311)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

राज्य सरकार जरिये कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं. 4, अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर 94139–51054

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

27.02.2025

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक ने कथन किया कि उनके विभाग द्वारा चार अलग प्रकरण पेश किये गये है जबकि उक्त समस्त पेट्रोलियम पदार्थ एक ही व्यक्ति से एक ही समय में जब्त किया गया था इसलिए धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक ही प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था। इसलिए उनके द्वारा प्रस्तुत चारों प्रकरणों को समायोजित (क्वब) करने की प्रार्थना की तथा उनके विभाग द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है।

उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित होगा। इसलिए विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक की बहस पर मनन किया और समस्त पत्रावलियों का अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 12.10.2024 को अप्रार्थी राजकुमार पुत्र श्री भगवानादास अरोड़ा निवासी वार्ड नं. 4 अरायण तहसील श्रीकरणपुर के विभिन्न दुकानों एवं गोदामों पर कुल 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय अन्य सामग्री जब्त की गई थी, जिस हेतु उनके द्वारा चार इस्तगासे पेश किये गये है।

चूंकि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 12.10.2024 को उनके विभाग द्वारा चार अलग प्रकरण पेश किये गये है जबकि उक्त समस्त सामान एक ही व्यक्ति से एक ही समय में जब्त किया गया था इसलिए धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक ही प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अतः जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और चूंकि [illegible] प्रस्तुत चारों प्रकरणों को समायोजित (क्लब) किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी द्वारा पूर्व में दिनांक 27.11.2024 को समस्त प्रकरणों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ हुआ है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया गया सामान वह वापिस नहीं लेना चाहता है और ना ही प्रार्थी जब्त सामान की मांग करेंगा। विभागीय प्रतिनिधि श्री धर्मपाल, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है :

161/2024 (GCMS No. 2024/236)

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ तहसील करणपुर के अरायण के बस स्टैण्ड के पास आनन्द लाईब्रेरी के निकट स्थित दुकान पर पहुंचे। मोके पर दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं0 4, अरायण तहसील श्रीकरणुपर बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 30 प्लास्टिक ड्रमों में 6840 लीटर डीजल भरा पाया गया, जिसे अप्रार्थी राजकुमार स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी राजकुमार ने पंजाब से सस्ते दाम पर डीजल खरीद कर अरायण में ग्राहकों की मांग के अनुसार डीजल विक्रय किया जाना बताया। मौके पर अप्रार्थी राजकुमार ने डीजल बेचान संबंधी कागजात/अनुमति पत्र/अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए 6840 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर सैम्पलिंग की कार्यवाही के पश्चात 6737.750 लीटर डीजल मय 30 प्लास्टिक ड्रम को जब्त किया गया और सतपाल सिंह पुत्र जलन्धर सिंह को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

162 / 2024 (GCMS No. 2024/237)

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ तहसील करणपुर के अरायण की एक दुकान पर पहुंचे। मौके पर दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं0 4, अरायण तहसील श्रीकरणुपर बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 13 प्लास्टिक ड्रमों में 2690 लीटर पेट्रोल भरा पाया गया, जिसे अप्रार्थी राजकुमार स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी राजकुमार ने पंजाब से सस्ते दाम पर डीजल खरीद कर अरायण में ग्राहकों की मांग के अनुसार डीजल विक्रय किया जाना बताया। मौके पर अप्रार्थी राजकुमार ने डीजल बेचान संबंधी कागजात / अनुमति / अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए 2690 लीटर पेट्रोल मय प्लास्टिक ड्रम को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर सैम्पलिंग की कार्यवाही के पश्चात 2687.750 लीटर पेट्रोल मय 13 प्लास्टिक ड्रम को जब्त किया गया और सतपाल सिंह पुत्र जलन्धर सिंह को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

163 / 2024 (GCMS No. 2024/238)

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ तहसील करणपुर के अरायण के वार्ड नं. 04 शिव मंदिर के सामने स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर दुकान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं0 4, अरायण तहसील श्रीकरणुपर बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 13 प्लास्टिक ड्रमों में 2650 लीटर डीजल भरा पाया गया, जिसे अप्रार्थी राजकुमार स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी राजकुमार ने पंजाब से सस्ते दाम पर डीजल खरीद कर अरायण में ग्राहकों की मांग के अनुसार डीजल विक्रय किया जाना बताया। मौके पर अप्रार्थी राजकुमार ने डीजल बेचान संबंधी कागजात / अनुमति पत्र / अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए कुल 2650 लीटर डीजल मय प्लास्टिक ड्रम को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। मौके पर सम्पलिंग की कार्यवाही के पश्चात 2647.750 लीटर डीजल मय 13 प्लास्टिक ड्रम को जब्त किया गया और सतपाल सिंह पुत्र जलन्धर सिंह को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

165 / 2024 (GCMS No. 2024/311)

स्टेट की ओर से सुश्री कविता, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ तहसील करणपुर के अरायण के बस स्टैण्ड स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर दुकान में उपस्थित व्यक्ति से पूछने पर उसने अपना परिचय राजकुमार पुत्र श्री भगवानदास अरोड़ा, उम्र 44 साल जाति अरोडा, निवासी वार्ड नं0 4, अरायण तहसील श्रीकरणपुर बताया, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। दुकान की जांच करने पर दुकान में 1 हस्तचलित पम्प, 6 लोहे के माप क्षमता 10 लीटर (2), 5 लीटर (2), 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 3 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक की कीप तथा 1 हिसाब की कॉपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पायी गयी। मौके पर उपलब्ध पेट्रोल / डीजल का भौतिक रूप से माप करने पर 20 प्लास्टिक बोतल में (20 X 2 = 40 लीटर पैट्रोल) 12 प्लास्टिक बोतल (12 X 1 = 12 लीटर पैट्रोल), 1 प्लास्टिक कैनी 10 लीटर पेट्रोल, 1 बड़ा प्लास्टिक ड्रम में 250 लीटर पेट्रोल, 2 प्लास्टिक के बड़े ड्रमों में (250 X 2 = 500 लीटर डीजल) पाया गया । इस प्रकार कुल 312 लीटर पेट्रोल तथा 500 लीटर डीजल पाया गया। जिसे अप्रार्थी राजकुमार स्वयं का होना स्वीकार किया। मौके पर बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी राजकुमार ने पंजाब से सस्ते दाम पर डीजल खरीद कर अरायण में ग्राहकों की मांग के अनुसार डीजल विक्रय किया जाना बताया। मौके पर अप्रार्थी राजकुमार ने डीजल बेचान संबंधी कागजात / अनुमति पत्र / अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए 212 लीटर पेट्रोल मय बोतल / ड्रम / कैनी, 500 लीटर डीजल मय ड्रम, 1 हस्तचालित पम्प, 6 लोहे के क्षमता 10 लीटर (2), 5 लीटर (2), 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 3 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप तथा 1 हिसाब की कॉपी को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। सतपाल सिंह पुत्र जलन्धर सिंह को सुपुर्दगी में दिया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी राजकुमार अरोडा ने बिना अनुमति / अनुज्ञापत्र के पेट्रोल का बेचान करना मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन करने के कारण, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने जब्तशुद्धा 9990 लीटर डीजल एवं 3002 लीटर पेट्रोल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा दिनांक [illegible].2024 को स्वयं उपस्थित हुए और लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वह अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर का स्थाई निवासी है। प्रार्थी की दुकान में से जिला रसद अधिकारी द्वारा सामान जब्त किया गया।

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उसका आगे यह भी कथन है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त की गई सामान/सामग्री विभाग में रखा जाता है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और न ही वह जब्त सामान की मांग करेगा। जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किये गये सामान प्रार्थी वापिस नहीं लेना चाहता है इसलिए उसके प्रकरण को खारिज करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 12.10.2024 को अवैध पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री की शिकायत की जांच करने जिला रसद अधिकारी मय स्टाफ गांव अरायण तहसील श्रीकरणपुर पहुंचे तो अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा के **विभिन्न स्थानों पर 9990 लीटर डीजल एवं 3002 लीटर पेट्रोल बेचान करने हेतु रखा हुआ पाया गया।**

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी **राजकुमार स्वयं ने बताया है कि उसके द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर गांव अरायण, तहसील श्रीकरणपुर में विक्रय किया जाता है तथा उसके पास भण्डारण/बेचान संबंधी कोई अनुज्ञा पत्र/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

उनका आगे यह भी कथन है कि और अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित जवाब में कथन किया है कि उसके सामान/सामग्री को जब्त किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी राजकुमार अरोडा ने डीजल/पेट्रोल भण्डारण व बेचान सम्बन्धी अनुज्ञा पत्र को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में पूछताछ पर उनके द्वारा पेट्रोल/डीजल बेचान के लाईसेंस/परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी राजकुमार द्वारा बिना अनुमति अनुज्ञापत्र के पंजाब से डीजल क्रय कर, तहसील श्रीकरणपुर के गांव अरायण में उपभोक्ताओं को बेचान करना **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 2(थ), 3(4), 4 का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने के कारण, उससे** जब्तशुदा 3002 लीटर पेट्रोल एवं 9990 लीटर डीजल को राजसात करने की **प्रार्थना की है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा के प्रार्थना पत्र एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि दिनांक 12.10.2024 को अवैध पेट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ तहसील श्रीकरणपुर के गांव अरायण पर पहुंचे। वरवक्त मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना परिचय राजकुमार अरोडा पुत्र भगवान दास अरोड़ा होना बताया, जिसकी उपस्थिति में उक्त दुकानों की जांच की गई। तहसील श्रीकरणपुर के गांव अरायण के बस स्टैण्ड के पास आनन्द लाईब्रेरी के निकट दुकान में 30 प्लास्टिक ड्रमों में 6840 लीटर डीजल, गांव अरायण की अन्य दुकान में 13 प्लास्टिक की ड्रमों में 2690 लीटर पेट्रोल, गांव अरायण के वार्ड नं. 4 शिव मंदिर के सामने स्थित दुकान में 13 प्लास्टिक ड्रमों में 2650 लीटर डीजल एवं गांव अरायण बस स्टैण्ड में स्थित दुकान में 312 लीटर पेट्रोल मय बोतल/ड्रम/कैनी, 500 लीटर डीजल मय ड्रम, 1 हस्तचलित पम्प, 6 लोहे की क्षमता 10 लीटर (2), 5 लीटर (2), 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 3 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप तथा 1 हिसाब की कॉपी पाई गयी। पूछताछ करने पर श्री राजकुमार अरोड़ा ने उक्त समस्त सामग्री स्वयं को होना स्वीकार किया। मौके पर बिल आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा ने बताया कि वह पंजाब के पेट्रोल पम्पों से लेकर डीजल/पेट्रोल लाकर, गांव अरायण में बेचान करता है। मौके पर अप्रार्थी के पास पेट्रोल/डीजल बेचान करने संबंधी कागजात/अनुमति पत्र/अनुज्ञापत्र नहीं था। इसलिए उक्त 9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को फर्दजब्ती जब्त किया गया तथा मौके पर ही श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री जलन्धर सिंह जाति जटसिख निवासी 56 साल निवासी 33 एफ ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अरायण मालिक मैसर्स बराड़ किसान सेवा केन्द्र (पैट्रोल पम्प), अरायण, श्रीकरणपुर को सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा द्वारा बिना अनुमति/अनुज्ञापत्र अवैध पेट्रोल/डीजल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण आदि कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सेक्शन 03 के तहत जारी **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02 (थ), 03(4), 04** का उल्लंघन करने के कारण जब्तशुदा 9990 लीटर डीजल एवं 3002 लीटर पेट्रोल एवं अन्य सामग्री को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से हैः—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने अपने लिखित प्रार्थना में कथन किया है कि अप्रार्थी द्वारा 9990 लीटर डीजल एवं 3002 लीटर पेट्रोल का भण्डारण कर रखा था जिसे अप्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है और उनके द्वारा इस हेतु किसी प्रकार कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थी राजकुमार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ बेचान करने के सम्बंध में कागजात/अनुमति पत्र/अनुज्ञा पत्र या अन्य कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा से 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल एवं 3002 लीटर पेट्रोल) एवं अन्य सामग्री जब्त किया गया है। अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा द्वारा क्रय/विक्रय/भण्डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा द्वारा **अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण किया जा रहा था।** **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण के साथ फर्द मौका मय जब्ती प्रस्तुत की है, जिसमें अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा ने पंजाब से पेट्रोलियम पदार्थ क्रय कर, तहसील करणपुर के गांव अरायण में बेचान करना बताया है। जिस पर अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा के स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।**

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187–188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **12(1) ....**
> **12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग ख तथा 5000 लीटर वर्ग ग के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 9990 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल एवं 3002 लीटर पेट्रोल) का भण्डारण एवं बेचान करते हुए जब्त किया गया है। बिना अनुज्ञप्ति (License) एवं बिना किसी सुरक्षा पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन एवं बेचान के कारण दुर्घटना होने की संभावना रहती है।

पत्रावली में उपलब्ध लिखित जवाब के साथ अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जब्त किये गये सामान पर कोई आपत्ति नहीं है, का अंकन किया है और अप्रार्थी जब्त किया गया सामान को वापिस भी नहीं लेना चाहता है, का अंकन किया है। अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा स्वयं ने उक्त पेट्रोल/डीजल को पंजाब से क्रय कर, तहसील करणपुर के गांव अरायण में बेचान करना बताकर, फर्द मौका मय जब्ती पर हस्ताक्षर किये है, जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है।

इस प्रकार अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा के कब्जे से उसकी दुकान/गोदाम में 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल) एवं अन्य सामग्री बेचान करते हुए प्राप्त हुआ है तथा अप्रार्थी राजकुमार अरोड़ा के पास उक्त मात्रा में डीजल/ पेट्रोल परिवहन/बेचान व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार अप्रार्थी डीजल/पेट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त है जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 का स्पष्ट उललंघन किया है।

अप्रार्थी ने उक्त डीजल क्रय/वि[illegible]डारण/परिवहन करने व कब्जे में रखने का कोई वैद्य अनु[illegible] पत्र [illegible] पेश [illegible] किया है। जबकि रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटो मोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 के बिन्दु संख्या 12 में निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विलायकों के वर्गीकरण के **सम्बन्ध में – स्पष्टीकरण**

(12) पत्रांक : पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 द्वारा उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रक, जयपुर वास्ते जिला रसद अधिकारी, जयपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर व उपायुक्त (प्रथम) खाद्य विभाग

(1) पेट्रोलियम उत्पदों का वर्गीकरण – पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लैश प्वाईन्ट के अनुसार किया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लैश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है वह सभी **वर्ग क** में आते है एवं जिनका फ्लेश प्वाईन्ट 23 अंश से.ग्रे. से अधिक व 65 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, वे ख में आते है एवं **जिनका फ्लेश प्वाईट 65 अंश से.ग्रे. से अधिक एवं 95 अंश से.ग्रे. से नीचे होता है, ये सभी वर्ग ग में वर्गीकृत किये गये है।**

Class A : Hexane, NGL, Heptane

Class B : MTO,C-9,Solvent/rafinates, C-9 raffinates-Solvent90, Iomex

Class C : Furance Oil (FO), Lighet Diesel Oil(LDO, Aromex

बाकी पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एसबीपी स्प्रीट/एसबीपी सोलवेन्ट, पेन्टेन, सिक्सोन, रिसोल, एरोमेक्स, लोमेक्स, फ्लेश प्वाईन्ट के अभाव में श्रेणी बता पाना मुश्किल है।

(2) **उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डरण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग क, 2500 लीटर पेट्रोलियम वर्ग ख एवं 5000 लीटर वर्ग ग के भण्डारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।**

....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है तथा वर्ग "ख" के 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति (License) की आवश्यकता है। जबकि अप्रार्थी द्वारा 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल) "भण्डारण एवं बेचान" करते जब्त किया गया हैं, इसलिए उक्त अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल) मय बोतल/ड्रम/कैनी एवं 1 हस्तचालित पम्प, 6 लोहे के क्षमता 10 लीटर (2), 5 लीटर (2), 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 3 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप तथा 1 हिसाब की कॉपी राजसात करने योग्य ठहरते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) की अवहेलना के कारण जब्तशुदा 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल) मय बोतल/ड्रम/कैनी एवं 1 हस्तचालित पम्प, 6 लोहे के क्षमता 10 लीटर (2), 5 लीटर (2), 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 3 लोहे की कीप, 1 प्लास्टिक कीप तथा 1 हिसाब की कॉपी राजसात किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56 में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्तशुदा उक्त 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल) के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 12992 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (9990 लीटर डीजल व 3002 लीटर पेट्रोल) की विक्रय राशि एवं अन्य सामान को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है। आदेश की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट

श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:45:12 IST
Reason: SelfAttested